

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 40/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्याय निणयन के प्रयोजनाथ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) में उल्लेखित समान न्याय निणयन प्राधिकारों पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निधारण के प्रयोजनाथ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28 का उप धारा (8) के तहत समायावधि दिनांक 06.09.2019 से एक वर्ष का अर्वाधि के लिए बढ़ाते हैं:-

तालिका

क्र.	विवरण	विवरण (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 28(9)(b))	समान न्याय निणयन विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै एजीजी एक्सपोर्ट्स, A-11, फोकल पॉइंट, लुधियाना-141010 और 4 अन्य.	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/RU- LDH/856/ENQ-7 (INT-01)/ 2014/IV दिनांक 29.01.2016, दिनांक 06.09.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.09.2018
2.	मै श्री टैडस, No-18/1(17), 1 ^{ला} एवं 2 ^{रा} तल, कमरा सं 123,	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/RU- LDH/856/ENQ-7 (INT-01)/ 2014/V दिनांक 07/11.09.2017 दिनांक 06.09.2018 के शुद्धिपत्र के	अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.09.2018

लालबाग फोट रोड, बलोर-560004 और अन्य.	साथ पठनीय.	
--	------------	--

[. . DRI/HQ-CI/50D/CAA-33/2019-CI]

(श्री)
f

प्रति सूचना एवं रिकॉर्ड के अध्ययन हेतु प्रेषित

1. (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली f
साथ कि वो दोनों कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
1 28 1 (8) ल ड f f ,
राजस्व आसूचना निदेशालय द f f :